प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
(बजट "क" वर्ग)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 17 नवम्बर , 2023**

विषयः लोक निर्माण विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटन ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-12/2023/बी-1-714/दस-2023 दिनाँक 02 नवम्बर, 2023 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, गोरखपुर को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए डी.डी.ओ.कोड संख्या-4906 आवंटित किया गया है, जो पूर्व से ही अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, गोरखपुर को आवंटित है ।

2. उक्त के सन्दर्भ में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 02 नवम्बर, 2023 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, गोरखपुर को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" आवंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या-4906 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, गोरखपुर को "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ.कोड संख्या-4907 आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-13/2023/बी-1-942(1)-दस-2023, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर व देवरिया ।
6. लोक निर्माण अनुभाग-10.
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8.
8. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, निर्माण भवन, लखनऊ ।
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी ।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।